न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- श्री गजेन्द्र सिंह (R.T.S.)

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मणकसास,

बनाम

श्री सुभाष पुत्र श्री नारू जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी

अंर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

-:निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 05/2022 दिनांक 25.04.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मणकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 मे मौजा ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 22 कुल रकबा 0.11 है0 किस्म बंजड 2 मे से 0.11 है0 सरकारी भूमि पर बाबा श्री सुभाष पुत्र श्री नारू जाति मीणा निवासी मणकसास ने अनाधिकृत रुप से फाड लगा कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी पर कदीमी रूप से काबिज है तथा प्रार्थी के पास रहने के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमि नही है। इसके अलावा अप्रार्थी ने कोई ठोस साक्ष्य सबूत आदि पेश नही किये है। इससे सह स्पष्ट नही होता है कि प्रार्थी का कदीमी कब्जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का उसके हक मे नियमन करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 22 कुल रकबा 0.11 है0 किस्म बंजड 2 में से 0.11है0 सरकारी भूमि पर श्री सुभाष पुत्र श्री नारू जाति मीणा निवासी मणकसास को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरुप वार्षिक लगान 2 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 100/-रुपये (अक्षरे रू सौ मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करे। निर्णय आज

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25.04.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh
Date: 2022.11.24 11:45:23 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह) RTS
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं